

राजस्थान में डेयरी विकास के लिये 1000 करोड़ रुपए का “कोरपस फण्ड” बनाने की मंजूरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस ऐतिहासिक पहल से प्रदेश की सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादकों को फायदा मिलेगा

—कार्यालय संवाददाता—
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार ने डेयरी विकास के लिए राज्यभर की डेयरियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिये 1000 करोड़ रुपये के “कोरपस फण्ड” बनाने की स्वीकृति जारी की है। यह स्वीकृति राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फण्ड के लिये जारी की गई है। डेयरी विकास के क्षेत्र में राजस्थान में पिछले दो दशकों में पहली बार यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस ऐतिहासिक पहल से प्रदेश की सहकारी डेयरियों और उनसे जुड़े लाखों दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा। साथ ही डेयरियों के आधारभूत ढांचे में विस्तार से आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की संभावनाएं तलाशने में भी मदद मिलेगी।

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रशासक एवं प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राजस्थान में डेयरी विकास के क्षेत्र में



इतनी बड़ी राशि के विनियोजन की स्वीकृति पहली बार जारी की गई है। स्वीकृत राशि से राज्यभर की सहकारी डेयरियों में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार किया जायेगा और वर्तमान में आरसीडीएफ की कुल दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किया

- राज्य सरकार के इस फैसले से आरसीडीएफ की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता भी बढ़कर 75 लाख लीटर प्रतिदिन होगी
- इसके साथ ही पशु आहार उत्पादन क्षमता भी 2550 मेट्रिक टन प्रतिदिन हो जाएगी

सुदृढीकरण किया जायेगा। कोटा, उदयपुर एवं राजसमंद जिलों में भी नये अत्याधुनिक संयंत्रों की स्थापना की जावेगी और जोधपुर पशु आहार संयंत्र का विस्तारीकरण किया जावेगा। पाली एवं हनुमानगढ़ जिले में 60 मेट्रिक टन क्षमता के नये डेयरी प्लान्ट्स भी स्थापित किये जाएंगे। श्रुति भारद्वाज ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत

इस बजट के कारण आरसीडीएफ के पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ाई जा सकेगी। वर्तमान में पशु आहार संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 1800 मेट्रिक टन प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 2500 मेट्रिक टन प्रतिदिन किया जाएगा। इसी प्रकार आरसीडीएफ के पाउडर प्लान्ट्स की वर्तमान क्षमता 165 मेट्रिक टन प्रतिदिन है, जिसे बढ़ाकर 225 मेट्रिक टन प्रतिदिन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि “कोरपस फण्ड” की 10 प्रतिशत राशि आरसीडीएफ स्वयं के द्वारा अर्जित लाभ में से देगा। इसी प्रकार जिला दुग्ध संघों द्वारा भी कोरपस फण्ड की 10 प्रतिशत राशि उनके द्वारा अर्जित लाभ में से दी जावेगी। कोरपस फण्ड में बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं से उचित ब्याज दर पर ऋण लिया जा सकेगा। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एचआईडीएफ के अन्तर्गत 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी भारत सरकार और 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा दी जावेगी।

‘गिवअप’ अभियान से जुड़कर 42 लाख लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से स्वयं नाम हटवाया

इस कारण राज्य सरकार 69.50 लाख नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ सकी

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में 42 लाख अपात्र लोगों ने स्वयं “गिव अप” अभियान से जुड़कर खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ी है। इससे अब पात्र और वंचित लोगों को फायदा मिलेगा। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लगभग 4.46 करोड़ लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। परंतु यह सीमा पूर्ण हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 1 नवम्बर 2024 को आरंभ हुए “गिव अप”

अभियान में प्रदेशभर में 41.95 लाख से अधिक अपात्र लोगों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़कर सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया है। करीब 27 लाख से अधिक व्यक्ति ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण स्वतः सूची से बाहर हो गए, जिससे नए पात्र लाभार्थियों के लिए स्थान उपलब्ध हुआ। यह अभियान अब जनआंदोलन का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि 26 जनवरी को खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः शुरू किया। इसके बाद से अब तक लगभग 69.50 लाख नए

- खाद्य सुरक्षा योजना में कलैक्टर्स जोड़ सकेंगे लाभार्थी, लोग स्वयं हटा सकेंगे अपना नाम सूची से

पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पात्र वंचितों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब जिला कलेक्टर को भी एनएफएसए सूची में नए लाभार्थियों को सम्मिलित

करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही, सक्षम लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपना नाम सूची से हटवा सकते हैं। इससे पारदर्शिता और न्यायसंगतता सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री की इस पहल से पात्र वंचितों को न केवल खाद्य सुरक्षा प्राप्त हो रही है, बल्कि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में 450 रुपये की दर से प्रतिवर्ष 12 गैस सिलेंडर, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रुपये का निशुल्क बीमा और

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में निशुल्क चिकित्सा सुविधा जैसी अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों के चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का यह विस्तार न केवल राज्य की प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण है, बल्कि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समान अवसर की भावना को साकार करने वाला ऐतिहासिक कदम है। राजस्थान सरकार की यह पहल ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के संकल्प को मूर्त रूप दे रही है।

2130 बदमाशों के ठिकानों पर छाप

जयपुर। जयपुर पुलिस ने मंगलवार को बदमाशों के 2130 संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर 551 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि पुलिस की 430 टीमों ने हार्डकोर और वांछित अपराधियों के ठिकानों को चिह्नित कर आठ जिलों में एक साथ दबिश दी थी, जिससे बदमाशों में हडकंप मच गया।

**वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क**

कॉर्पोरेट कार्यालय: चौधी मंजिल, पूर्वी विंग, वर्ल्ड मार्क-1, एरोसिटी, दिल्ली 110 037
दूरभाष: 011-49111200, www.gstn.org.in

निविदा सूचना

सरकारी उद्यम, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन), निम्नलिखित वस्तुओं/सेवाओं के लिए पात्र फर्मों/कंपनियों से बोलियां आमंत्रित करता है:

विवरण	बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय
उच्च-स्तरीय लैपटॉप और डेस्कटॉप की आपूर्ति और स्थापना के लिए निविदा	को 15:00 बजे 18 नवंबर, 2025 तक

निविदा/आरएफपी दस्तावेज एवं संबंधित आवश्यक जानकारी जीएसटीएन वेबसाइट www.gstn.org.in से डाउनलोड की जा सकती है। किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र को जीएसटीएन वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

CBC 15319/12/0004/2526

संजय शर्मा, उपाध्यक्ष (पी एंड सी)

Government of India

Ministry of Road Transport and Highways

ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और पंजीकृत वाहन मालिकों से आग्रह है कि वे अपना मोबाइल नंबर वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट करवा लें। इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि विवरण पूर्ण, सटीक और अद्यतित हैं। आर टी ओ में जाए बिना पोर्टल में मोबाइल नंबर अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है।

SCAN OR CLICK TO UPDATE YOUR MOBILE NUMBER



VAHAN

<https://vahan.parivahan.gov.in/mobileupdate/>



SARTHI

<https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/mobNumUpdpub.do>

संबंधित व्यक्ति विवरण परिवहन वेबसाइट <https://parivahan.gov.in/> पर देख सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया ईमेल करें - आईडी: [helpdesk-vahan\[at\]gov\[dot\]in](mailto:helpdesk-vahan@gov.in) and [helpdesk-sarathi\[at\]gov\[dot\]in](mailto:helpdesk-sarathi@gov.in)

CBC 37101/13/0012/2526